उत्तर प्रदेश चिकित्सा परिचर्या सेवा कर्मी और चिकित्सा परिचर्या सेवा संस्था (हिंसा और सम्पत्ति की क्षति का निवारण) अध्यादेश, 2013

(उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या– 6 सन् 2013)

(भारत गणराज्य के चौंसठवें वर्ष में राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित)

चिकित्सा परिचर्या सेवा कर्मी के प्रति हिंसा और चिकित्सा परिचर्या सेवा संस्थाओं की सम्पत्ति की क्षति के निवारण एवं उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों की व्यवस्था करने के लिए

अध्यादेश

चूँकि राज्य में चिकित्सा सेवा कर्मियों के जीवन को क्षति और खतरा तथा चिकित्सा सेवा संस्थाओं की सम्पत्ति को हानि पहुँचाने वाले हिंसात्मक कृत्य हो रहे हैं जिससे चिकित्सा परिचर्या व्यवसायियों में असंतोष पैदा हो रहा है और परिणामतः राज्य में ऐसी सेवायें गंभीर रूप से बाधित हो रही हैं;

और चूँकि, उत्तर प्रदेश राज्य में ऐसे हिंसक कृत्यों को संज्ञेय और गैर जमानती अपराध बना कर रोकना आवश्यक हो गया है;

और चूँकि राज्य विधान मण्डल सत्र में नहीं है और राज्यपाल का यह समाधान हो गया है कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं, जिनके कारण उन्हें तुरन्त कार्यवाही करना आवश्यक हो गया है;

अतएव, अब, भारत का संविधान के अनुच्छेद–213 के खण्ड–(1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके, राज्यपाल, निम्नलिखित अध्यादेश प्रख्यापित करते हैं:–

संक्षिप्त नाम

1– यह अध्यादेश उत्तर प्रदेश चिकित्सा परिचर्या सेवा कर्मी और चिकित्सा परिचर्या सेवा संस्था (हिंसा और सम्पत्ति की क्षति का निवारण) अध्यादेश, 2013 कहा जायेगा।

परिभाषाएं

2–जब तक संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो, इस अध्यादेश में;

(क) "चिकित्सा परिचर्या सेवा" का तात्पर्य, शिशु जन्म से संबंधित प्रसवपूर्व और प्रसवोपरान्त देखभाल या उससे संबंधित कोई भी बात, या किसी बीमारी, चोट या अंग शैथिल्य, चाहे शारीरिक हो या मानसिक, से ग्रस्त व्यक्तियों को किसी भी रूप में परिचर्या एवं देखरेख को सम्मिलित करते हुए चिकित्सीय उपचार और देखभाल उपलब्ध कराने के कृत्य से है;

(ख) 'चिकित्सा परिचर्या सेवा संस्था' का तात्पर्य मेडिकल कालेज, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, स्वास्थ्य केन्द्र के रूप में किसी चिकित्सालय, चाहे जिस भी नाम से पुकारा जाय, या लोगों को चिकित्सा परिचर्या सेवा उपलब्ध कराने वाली ऐसी अन्य संस्थाओं से है, जो राज्य सरकार या केन्द्र सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकरण या किसी निजी चिकित्सालय/नर्सिंग होम, क्लीनिक और प्रसूति केन्द्र द्वारा स्थापित और प्रबंधित हो, या नियंत्रणाधीन हो और उत्तर प्रदेश चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग से पंजीकृत हो;

(ग) चिकित्सा परिचर्या सेवा संस्थान के संबंध में "चिकित्सा परिचर्या सेवा कर्मी" का तात्पर्य अनन्तिम पंजीकरण धारक को सम्मिलित करते हुए

किसी पंजीकृत चिकित्सक, पंजीकृत नर्स, चिकित्सा विद्यार्थी, नर्सिंग विद्यार्थी और अर्द्ध चिकित्सीय कर्मकार से है और इसमें ऐसी संस्था में नियोजित और कार्यरत कोई व्यक्ति भी सम्मिलित है;

(घ) ''हिंसा'' का तात्पर्य ऐसे किया कलापों से है जो चिकित्सा परिचर्या सेवा संस्था में या उसके बाहर कर्तव्य का निर्वहन करने वाले किसी भी चिकित्सा परिचर्या कर्मी को कोई हानि पहुंचाने, क्षति पहुंचाने या उसके जीवन को संकटापन्न करने या उसको अभित्रास, अवरोध या बाधा पहुँचाने वाले हों;

(ङ) ''सम्पत्ति'' का तात्पर्य किसी सम्पत्ति, स्थावर हो या जंगम, चिकित्सा उपस्कर या चिकित्सा यन्त्र सामग्री से है जो किसी चिकित्सा सेवा कर्मी या चिकित्सा परिचर्या सेवा संस्थान के नियंत्रण में हो;

(च) ''आपात चिकित्सा परिवहन सेवा'' का तात्पर्य सभी सचल चिकित्सा इकाईयों एवं चिकित्सा उपस्करों से युक्त चिकित्सा वाहन से है, जिसका उपयोग चिकित्सा सुविधायें उपलब्ध कराने में किया जाय।

चिकित्सा परिचर्या सेवा कर्मी के विरूद्ध हिंसा और सम्पत्ति की क्षति

3— कोई भी जो ,—

(क) किसी चिकित्सा परिचर्या सेवा कर्मी के विरुद्ध हिंसात्मक कृत्य करे, या

(ख) चिकित्सा परिचर्या सेवा संस्थान की सम्पत्ति को क्षति पहुँचाएं, ऐसे अपराध के लिए, कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक हो सकेगी और जुर्माने से, जो पचास हजार रूपये तक का हो सकेगा, दण्डित किया जा सकेगा।

अपराध का संज्ञान

4— धारा—3 के अधीन दण्डनीय अपराध संज्ञेय एवं गैर जमानती होगा।

सम्पत्ति को पहुचांई गयी क्षति की वसूली

5—(1) धारा—3 के अधीन उपबन्धित दण्ड के अतिरिक्त न्यायालय द्वारा निर्णय पारित करते समय यह आदेश दिया जायेगा कि आरोपित व्यक्ति क्षतिग्रस्त चिकित्सीय उपस्कर के कय मूल्य की धनराशि और चिकित्सा परिचर्या सेवा संस्था की सम्पत्ति को हुई हानि के दोगुने की शास्ति के लिए दायी होगा।

(2) यदि ऐसे व्यक्ति द्वारा उप धारा—(1) के अधीन शास्तिक क्षतिपूर्ति का संदाय नहीं किया जाता है, तो उसकी वसूली उत्तर प्रदेश भू—राजस्व अधिनियम, 1950 की बकाया के रूप में की जायेगी।

अध्यादेश का किसी भी अन्य विधि के अल्पीकरण में न होना

6— इस अध्यादेश के उपबन्ध तत्समय प्रवृत्त किसी भी अन्य विधि के उपबन्धों के अतिरिक्त होंगे, न कि उनके अल्पीकरण में।

बी0एल0 जोशी
राज्यपाल
उत्तर प्रदेश